पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/118

प्रार्थी :-

अचलाराम पुत्र भूराराम जाति मीणा, निवासी लाटाड़ा पंचायत समिति बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति रेबारी, निवासी लाटाड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
2. सचिव, ग्राम पंचायत लाटाड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत लाटाड़ा के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.03.2021 पत्रावली संख्या 10/2020–2021 दायर दिनांक 02.07.2020 निर्णय दिनांक 09.03.2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा संख्या 48 जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :-
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

-:निर्णय:-

दिनांक: 25.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम लाटाड़ा के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.03.2021 पत्रावली संख्या 10/2020–2021 दायर दिनांक 02.07.2020 निर्णय दिनांक 09.03.2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा संख्या 48 जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/ 2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि:-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली.o.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. यह है कि, प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष अपने मकान/प्लॉट आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पत्रावली की आदेशिका में अंकित किया है। लेकिन प्रार्थी ने पत्रावली संख्या 10/2020–2021 की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की लेकिन ऐसे किसी भी प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध नहीं हुई। अर्थात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया माना जायेगा। पत्रावली में दिनांक 21.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 120/– रुपये जरिये रसीद जमा करवाया जाना भी उल्लेखित है लेकिन रसीद नम्बर व दिनांक दोनो ही आदेशिका में अंकित नहीं है।
2. यह है कि दिनांक 05.01.2021 को वार्ड पंच बाबुलाल, सुरेश कुमार व रेगाराम को मौका निरीक्षण हेतु मनोनित किया जाना उल्लेखित है एवं मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश होने तथा सचिव मौका का नक्शा बनाकर आगामी बैठक में पेश करें ऐसा आदेशित किया गया है। परन्तु पत्रावली को देखने से यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों वार्ड पंचो द्वारा न तो ऐसा कोई मौका निरीक्षण किया गया है और न ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुई है। इतना ही नहीं सचिव द्वारा भी मौके का नक्शा बनाकर पेश करना भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।
3. यह है कि आदेशिका दिनांक 25.01.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल हो का उल्लेख है। मौका रिपोर्ट एवं पंचो की राय से प्रार्थी का मौके पर मकान बना हुआ है ऐसा उल्लेखित है लेकिन पत्रावली में कही पर भी उल्लेखित नहीं है। मौके पर जिस भूमि का पट्टा दिये जाने का जो प्रस्ताव लिया गया है वह भूमि खसरा नम्बर 493 गैर मुमकीन रास्ता एवं 476/1095 रकबा 0.3200 बारानी अव्वल जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि का भाग है। अर्थात पंचायत ने जिस भूमि का पट्टा जारी किये जाने का जो प्रस्ताव लिया है वह ग्राम पंचायत लाटाडा की न होकर गैर मुमकीन रास्ते व प्रार्थी के खातेदारी भूमि का भाग है। ऐसी स्थिति में जो भूमि पंचायत की स्वामित्व की है ही नहीं उसका पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 ख के तहत प्रार्थी के रहवासीय मकान जो 50 वर्षों के दौरान बना हुआ है। पट्टा 100/–रुपये मे देने का निर्णय लिया है। प्रथम तो प्रार्थी की उम्र ही 42 वर्ष की है, द्वितीय जिस भूमि का पट्टा दिया गया है उस समय से खूली पड़ी है। उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण व रहवास नहीं है। इस कारण भी आदेश दिनांक 09.03.2021 निरस्तनीय है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

5. यह है कि आदेशिका दिनांक 25.01.2021 के द्वारा 30 दिन का आपत्ति नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया है उस आदेशिका की पालना में आपत्ति आहवान पत्र निकाला गया है लेकिन किस तारीख को निकाला गया है, तारीख अंकित नहीं है। किस क्षेत्रफल के भूखण्ड बाबत आपत्ति पत्र निकाला गया है, भूखण्ड की लम्बाई–चौडाई अंकित नहीं है एवं कौनसी तारीख को नोटिस चस्पा किया गया है यह भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में नियम 148 की पालना नहीं की गयी है।

6. यह है कि, तत्पश्चात नियम 149 (149) के अन्तर्गत आपत्ति का निस्तारण कब्जे की पुष्टि बाबत शपथपत्र दो बुर्जुगों के बयान उपस्थिति कोरम के समक्ष लिया जाना अंकित है लेकिन देखने वाली बात यह है कि नियम 149 के तहत जो कार्यवाही हुई है वह कौनसी तिथि को हुई आदेशिका में अंकित चमनाराम देवासी के बयान कौनसी तारीख को लिये गये वह तारीख कही पर भी अंकित नहीं है। इतना ही नहीं गवाह के बयान फॉर्म में प्रार्थी का करीब कितने वर्षों से अधिकार क्षेत्र में है उन वर्षों का कॉलम भी खाली पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं मांगीलाल ने जो इस निगरानी में अप्रार्थी संख्या 01 है जो शपथपत्र पेश किया है वो भी प्रिटेंड फॉर्म है। एवं जहां जहां रिक्त स्थान है वे रिक्त स्थान ही छोडे गये है। इतना ही नहीं शपथपत्र के पृष्ठ संख्या 02 पर सत्यापन के नीचे दो गवाहों के नाम, पिता का नाम, जाति निवासी जिला और हस्ताक्षर सारे सारे खाली पड़े हुए है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा ग्राम पंचायत लाटाड़ा ने अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल के पक्ष में पंचायत नियम 157 ख के तहत आवासीय मकान का पट्टा देने का जो प्रस्ताव दिया है उसे निरस्त फरमावे।

अप्रार्थी संख्या एक को प्रेषित सम्मन 'इनकार' (Refused) की टिप्पणी के साथ प्राप्त।, अतः तामीली मानी जाकर उपस्थिति का अवसर दिया गया, किन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थिति नही देने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

अप्रार्थी सचिव, ग्राम पंचायत लाटाड़ा की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर ने उपस्थिति दी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत लाटाड़ा से तलब कर शामिल मिसल किया गया तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस याचिका पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित नही है, अपितु गै.मु. रास्ता तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का भाग है एवं खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त नही है। यह भी, कि ज़ैर याचिका आलोच्य मिसल एवं पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई, जिसका विस्तृत विवरण हस्तगत याचिका में पैरावार दिया गया है। अतः ज़ैर आलोच्य पट्टे का निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो बहस के दौरान अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन एवं विश्लेषण उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. आलोच्य मिसल संख्या 10/2020–21 पर दायर दिनांक 02.07.2020 अंकित है, किन्तु मिसल में प्रथम आदेशिका दिनांक 21.12.2020 को लिखी जाकर मिसल दर्ज करने के आदेश जारी किये गए।
2. प्रथम आदेशिका दिनांक 21.12.2020 में राशि रुपये 120/– जमा होने का अंकन है, किन्तु सम्पूर्ण मिसल में उक्त राशि जमा होने के प्रमाण के रुप में कोई रसीद संलग्न नहीं है।
3. ग्राम पंचायत लाटाड़ा की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर से ज्ञात होता है कि बैठक दिनांक 05.01.2021 में प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा प्रश्नगत मिसल में मौक़ा निरीक्षण हेतु दो वार्ड पंचो का नाम अंकित है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 (2) के अन्तर्गत तीन पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण करना आज्ञापक है। यद्यपि आदेशिका दिनांक 05.01.2021 में तीन पंचो का अंकन किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत के संकल्प के अभाव में तीसरे पंच का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
4. सम्पूर्ण मिसल में पंचो द्वारा किए जाने वाले स्थल निरीक्षण सम्बन्धि कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है अर्थात् हस्तगत मिसल में उपरोक्त नियम 146 के उपबन्धानुसार स्थल निरीक्षण किए जाने बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल आदेशिका में अंकन किये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि पंचो द्वारा मौक़ा निरीक्षण किया गया हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

5. मिसल में आज्ञा दिनांक 25.01.2021 से आपत्ति इश्तिहार जारी करने के निर्देश दिए गए है, किन्तु मिसल में संलग्न आपत्ति इश्तिहार में कोई दिनांक अंकित नहीं है। आगामी आदेशिका पर भी कोई तिथि अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आपत्ति इश्तिहार किस तिथि को जारी किया गया तथा आक्षेप प्रस्तुति हेतु तीस दिन की अवधि किस तिथि को समाप्त हुई। यह भी उल्लेखनिय है कि मिसल में उपलब्ध आपत्ति इश्तिहार में यह कहीं भी अंकन नहीं है कि इसे कहाँ कहाँ अर्थात् किन सहजदृश्य स्थलों पर चस्पा किया गया। स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 की पूर्ण पालना नहीं की गई है।

6. मिसल में कब्जे की पुष्टि हेतु दो गवाहों के बयान संलग्न है किन्तु उक्त बयानों पर तिथि का अंकन नहीं है और न ही आदेशिका में कोई तिथि अंकित है।

7. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अन्तिम आदेशिका दिनांक 09.03.2021 में आवेदक से 100/–रु लेकर विनियमितिकरण कर नियम 157 (ख) में पट्टा जारी करने के निर्देश दिए जाने का उल्लेख है। पट्टाधारी द्वारा भी राशि 100/– जमा करवाने का सरबरक पर अंकन है। किन्तु ग्राम पंचायत लाटाड़ा की बैठक दिनांक 09.03.2021 में संकल्प संख्या 02 द्वारा आवेदक को 200/– रुपये जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे। अतः ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा मिसल की आदेशिकाओं में भिन्नता है तथा आवेदक द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करना प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

8. हस्तगत प्रकरण में आलोच्य पट्टा पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है। किन्तु, आलोच्य मिसल में पुराने कब्जे के प्रमाण के रुप में पंचो की रिपोर्ट संलग्न नहीं है,दो गवाहो के बयानों में भी कब्जे की अवधि का कोई अंकन नहीं है। यह प्रतीत होता है हस्तगत मिसल में केवल मौखिक साक्ष्य से कब्जा मान लिया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से अनुमत नहीं है।

9. चूंकि आलोच्य मिसल में न तो स्थल निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि प्रस्तावित भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है अथवा नहीं और न ही सम्पूर्ण मिसल में कहीं भी यह अंकित है कि उक्त भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित है। इससे प्रार्थी के इस कथन की ही पुष्टि होती है कि प्रश्नगत भूखण्ड गै.मु. रास्ता तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवस्थित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2024
उनवान : अचलाराम बनाम मांगीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

उपरोक्त वजूहातो के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा मिसल संख्या 10/2020–21 में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 09.03.2021 तथा इसके अनुक्रम में ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी भूमि विक्रय विलेख संख्या 48 दिनांक 09.03.2021 को खारिज किया जाता है।

प्रकरण ग्राम पंचायत लाटाड़ा को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए तथा भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही अवस्थित होने का पूर्ण निर्धारण करने के उपरान्त ही नियमानुसार नये सर आदेश पारित करे।

सचिव, ग्राम पंचायत लाटाड़ा को यह भी निर्देश दिए जाते है कि मिसल संख्या 10/2020–21 तथा खारिज किये गये पट्टे की मूल प्रति पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली